

पत्र संख्या : 7 वि.शा./मु.ल.सिं.राँची-07-04/2021 ज.स.-12A

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक;  
झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम (लि.),  
(झालको), राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक: 25/09/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रबंध निदेशक, झालको प्रक्षेत्राधीन नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रूपये 57.479 लाख (रूपये सत्तावन लाख सैंतालीस हजार नौ सौ मात्र) राशि के आवंटन के संबंध में।


प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या- 28/01.08.2018; (Online A.A.-1007/01.08.2018)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू.)
1	2	3	4	5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 19- नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S47020079619000545	57.479
आवंटित राशि - रूपये सत्तावन लाख सैंतालीस हजार नौ सौ मात्र।				

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यों के अनुरूप नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध राशि रू. 2700.00 लाख (सत्ताईस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों, तकनीकी स्वीकृति तथा स्वीकृत कार्यक्रम के आलोक में किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)




(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारत करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रबंध निदेशक, झालको (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. प्रबंध निदेशक, झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी. एल. खाता में जमा करेंगे।
16. इस राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं संयुक्त सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
17. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no संलग्न परिशिष्ट के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
28/09/21  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 122

राँची, दिनांक :- 28/09/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूँटी सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
28/09/21  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 122

राँची, दिनांक :- 28/09/21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

विभागीय पत्रांक ..... 129

दिनांक ..... 28/09/21

का अनुमनक

परिशिष्ट -1

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय  
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,  
उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,  
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण  
बजट उपबंध (2021-22) - रुपये 2700.00 लाख  
विपत्र कोड- 50S47020079619000545

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकराशिमा की राशि	मार्च 2021 तक व्यय	वर्ष 2021-22 में			योजना पर कुल आवदन आवदन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवदन	वर्तमान आवदन	कुल आवदन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		खूँटी	मुरहू	ग्राम सायको में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		46.125		38.307	7.727	0.000	14.477	14.477	22.204		
2	प्रबंध निदेशक, झालको, सैबी (RNCIRR035)	सैबी	तमाड़	ग्राम ईवाडीह-1 में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	28/2018-19	46.027	1007	35.149	7.769	0.000	16.631	16.631	24.400	47972	
3		सैबी	काँके	ग्राम बोरिया में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	dt. 01.08.2018	46.380		34.734	6.730	0.000	7.838	7.838	14.568		
4		सैबी	अनाड़ा	नवागाढ़ सोर्सो-II में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण		50.110		38.697	6.697	0.000	18.533	18.533	25.230		
योग :-						188.642		146.887	28.923	0.000	57.479	57.479	86.402		

आवंटित राशि - रुपये सत्तावन लाख सैतावीस हजार नौ सौ मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)  
सचिव